प्रेषक

आयुक्त
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0 / /2016–17 दिनांक– 28/6/2016

विषय **सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल जानकीनगर गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण दिये जाने विशयक।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक विषयक संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल शिक्षा भवन फैजाबाद द्वारा प्राप्त सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल जानकीनगर गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने प्रस्ताव पर शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक–14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्तो बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेगें।
6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
8. प्रतिबंधो को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जायें।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक अन्तर्गत दिये परिशिष्ट–3 के कम 5, 6 जो निम्नवत् है:–

1. **शिक्षक/कर्मचारी की अर्हताः–**

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति कौन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट एक्जामनेान/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा–12 के

प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होगें। कक्षा–10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होगें। कक्षा–11 व 12 पढाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होगें जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा–6 से 10 तक पढाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा–1 से 05 तक शिक्षण के लिए हाईस्कूल जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 तथा इण्टर के साथ सी0टी0, जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

2. **वेतन तथा सेवा शर्ते**

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिए सेवा शर्ते बनायी जायेगी जिनमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रकिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंषन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0, तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

सेवा शर्ते–समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा लिंग से सहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होगें जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय–समय पर दिये जाते है, किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नही होना चाहिये । उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तो को भी पूरा करेंगें।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबंधों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–01 (299)/2007 दिनांक–14 जुलाई 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(सुधीर दीक्षित)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई0/ 1448-55 /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
3. सयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल शिक्षा भवन फैजाबाद।
4. जिलाधिकारी गोण्डा।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा।
6. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबंधक सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल जानकीनगर गोण्डा।

(उदय राज)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
देवीपाटन मण्डल
शिक्षा भवन–फैजाबाद।